न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या : 10/2013

अपीलान्ट्स

1. धनराज उर्फ धन्नाराम पुत्र किशनाराम जाति–ब्राहम्ण निवासी–पिपलियाखुर्द, तहसील–जैतारण जिला–पाली राज.।

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

1. किशनाराम उर्फ किशनलाल पुत्र उदाराम जाति–ब्राहम्ण निवासी–पिपलियाखुर्द तहसील–जैतारण
2. लक्ष्मण पुत्र किशनाराम जाति–ब्राहम्ण निवासी–पिपलिया खुर्द तहसील–जैतारण।
3. जगदीश पुत्र किशनारामजी जाति–ब्राहम्ण निवासी–पिपलिया खुर्द तहसील–जैतारण जिला–पाली ।
4. तहसीलदार साहब, जैतारण।
5. सरपंच ग्राम पंचायत पिपलिया खुर्द तहसील– जैतारण जिला–पाली।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम

तारीख रजू:.19/12/2013

उपस्थित:– 1. श्री कमलेश प्रकाश जोशी,महेन्द्र प्रजापत बलून्दा, अधिवक्ता, अपीलान्ट्स।
2. श्री देवाराम कटारिया, प्रद्युम्न श्रीमाली, अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट्स।

–:: निर्णय:– दिनॉक: 13/01/2020

वकील मय प्रार्थी/अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम इस आशय का पेश किया है कि उपरोक्त अनवान के प्रकरण में म्युटेशन अपील प्रार्थी/अपीलार्थी ने श्रीमान् के समक्ष ठोस आधारों की है जो अपील मजबूत बिनाय पर आधारित होने से शतप्रतिशत स्वीकार होने योग्य है। अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा मिलावट कर अपीलान्ट के अधिकार की जायगा के संबंध में बाले बाले पोषीदा कार्यवाही की जिसकी अपीलार्थी ने जानकारी मिलते ही नकले निकलवाई तब उसे वस्तु स्थिति की जानकारी हुई इसलिए जानकारी से अंदर म्याद यह अपील पेश की जा रही है जो अंदर मियाद सुमार की जाना न्यायसंगत है। अपीलान्ट के पिता किशनाराम पुत्र स्व. उदाराम जाति–ब्राहम्ण निवासी पिपलियां खुर्द तहसील–जैतारण जिला–पाली राज. एवं अपीलान्ट के नाऔलाद चाचा चन्द्रा स्व चन्द्राराम पुत्र स्व. प्रतापजी ब्राहम्ण निवासी पिपलिया खुर्द तहसील–जैतारण जिला–पाली राज. के राजस्व ग्राम मौजा पिपलिया खुर्द में क्रमश खेत खसरा संख्या 206, 213, 235, 236 व 247 कुल किता 05 रकबा 37 बीघा 16 बिस्वा 1/2 व 1/2 हिस्स खेताय है एवं अन्य खसरा 181 के रकबा 62–04 बीघा में किशनाराम व चन्द्राराम के दोनों का 1/2 हिस्सा यानि अलग–अलग 1/4 व 1/4 हिस्सा के खेताय

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

है। अपीलान्ट, रेस्पोडेन्ट संख्या 01 किशनाराम का छोटा जायन्दा पुत्र है एक नाऔलाद मृतक चन्द्राराम का सबसे बड़ा छोटा पौत्र है एवं नाऔलाद मृतक चन्द्राराम का सबसे छोटा पौत्र है अपीलान्ट को नाबालिग अवस्था में उक्त फर्जी गोदपुत्र व फर्जी बक्सीसनामा की जानकारी नहीं हुई थी। बालिग होने के पश्चात अपीलान्ट की तुरन्त राजकीय सेवा में नियुक्ति होने जाने के कारण अपीलान्ट निरन्तर राजकीय सेवा में अन्यत्र बाहर पदस्थापित रहा था। इस कारण अपीलान्ट को फर्जी गोदपुत्र के म्यूटेशन संख्या 135, 136 दिनांक 28.10.1967 व म्युटेशन संख्या 137 दिनांक 29.10.1967 व फर्जी बक्सीसनामा के आधार पर हुए म्यूटेशन संख्या 293/06.11.1980 की जानकारी नही हो सकी। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 किशनाराम ने रेस्पोडेन्ट संख्या 02 लक्ष्मणराम द्वारा राजस्व वाद बंटवाड़ा के राजस्व न्यायालय में करने पर अपीलान्ट को तमाम रेस्पोडेन्ट द्वारा की गई फर्जी कार्यवाही की जानकारी होने पर ही अपीलान्ट ने बंटवाड़े के राजस्व एवं फौजदारी कार्यवाहियां समस्त रेस्पोडेन्ट के विरूद्व अपीलाण्ट ने की है जो न्यायालय में विचाराधीन है। अतः फर्जी गोदपुत्र/ जायन्दा संतान के आधार पर भरे गए विवादित खेताय के हक हिस्से के म्यूटेशन संख्या 135, 136, दिनांक 28.10.1967 व म्युटेशन संख्या 137 दिनांक 29.10.1967 व फर्जी बक्शीशनामा के आधार पर भरे गये म्यूटेशन संख्या 293/06.11.1980 अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर निरस्त होने योग्य है। जो उक्त म्यूटेशन निरस्त फरमाये जावे। अपीलार्थी को पूर्व में राजस्व रेकर्ड के समबन्ध में यही विश्वास था कि किशनाराम व चन्द्राराम के हक अधिकार संयुक्त रूप से हैं संयुक्त अविभाजित परिवार होने से इस बाबत किसी प्रकार का सन्देह अपीलार्थी ने नहीं किया था। इसके अलावा अपीलार्थी नाबालिग से बालिग होने के बाद पढ़ाई कर सरकारी सेवा में आ गया और वह अलग अलग स्थानों पर नियुक्ति लेकर राजकीय सेवा में तत्पर रहा था इस कारण भी उसे तथाकथित फर्जी कार्यवाहियों का भान नहीं हुआ था। पूर्व में अपने उक्त वर्णित खेताय में सुविधाअनुसार काश्त करते रहने से एवं सभी पक्षकारान में आव जाव रहने के कारण राजस्व रेकर्ड के बारे में जानकारी नहीं की थी। और अपीलार्थी के माता पिता व संरपंच व राजस्व अधिकारियों द्वारा की गई फर्जी कार्यवाहियों उनके द्वारा किये गये एक्ट की जानकारी भी नहीं ली थी। और अपीलार्थी इसी विश्वास में रहा था कि उसके समान नाम व हक हिस्सा मानकर अपने संयुक्त खेताय बाबत् जानकारी नहीं ली थी। म्युटेशन को लेकर भयकर विवाद आपस में हो जाने और अपीलान्ट के नाम राजस्व न्यायालय का सम्मन नोटिस आने पर रेकर्ड निकलवाया और विधिक राय लेकर अब बाद जानकारी यह अपील की जा रही है। अपीलार्थी द्वारा राजस्व रेकर्ड की नकले लेंने से पता चला कि अपीलार्थी के माता–पिता ने चन्द्रा के संपूर्ण खेताय अपने सबसे बड़े व चेहते पुत्र लक्ष्मण के नाम व बाद में आपस में मिल बेठकर अपीलान्ट को जानकारी कराये बिना तथाकथित व मिथ्या बक्शीशनामा के आधार पर गलत अंतरण व इन्द्राज संपूर्ण खेताय का करवा लिया है। अपीलार्थी के परिवार यानि माता–पिता से एवं भाईयों से पूर्व अच्छे संबंध होने के कारण से अपीलार्थी व उसकी बहने उनके विश्वास में रही। उस विश्वास का नाजायज फायदा उठाकर उसके माता पिता व भाईयों ने यह गलत एक्ट किया है। अपीलार्थी को राजस्व रेकर्ड की विधिवत्

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

नकले लेंने पर सच्चाई का ज्ञान हुआ है। बाद जानकारी अपील अंदर म्याद सुमार किया जाना न्यायसंगत है। इस बाबत मियाद अधिनियम की धारा 05 की अर्जी साथ प्रस्तुत है। अपीलांट को राजस्व रिकॉर्ड की विधिवत् नकले लेंने पर सच्चाई का ज्ञान हुआ। बाद जानकारी अपील अंदर मियाद सुमार की जाना न्यायसंगत है।

अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नहीं करना चाहते हैं। जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किया जाता है। बहस वकुलाय सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अपीलान्ट का अध्ययन किया, विद्वान वकुलाय उभयपक्ष की बहस को ध्यानपूर्वक सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने हस्तगत अपील राजस्व ग्राम-पिपलिया खुर्द, तहसील-जैतारण के नामांतकरण संख्या 135, 136 दिनांक 28.10.1967 व नामांकरण संख्या 137 दिनांक 29.10.1967 व नामांतरण संख्या 293 दिनांक 06.11.1980 को निरस्त करवाने बाबत प्रस्तुत करने हुए उक्त अपील दायर करनें में हुए विलंब काल को माफ करने बाबत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने विलंब-काल के कारण के रूप में प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 04 में निम्नानुसार कारण एवं आधार अंकित किए है कि "अपीलांट रेस्पोडेन्ट संख्या 01 किशनाराम का छोटा जायन्दा पुत्र है, एवं ना औलाद मृतक चन्द्राराम का सबसे छोटा पौत्र है, अपीलांट को नाबालिग अवस्था में उक्त फर्जी गोद पुत्र एवं फर्जी बक्शीशनामा की जानकारी नहीं हुई थी, बालिग होनें पर अपीलान्ट तुरन्त राजकीय सेवा में अन्यत्र बाहर पदस्थापित रहा, जिससे उसे उक्त नामांतरणों की जानकारी नहीं हुई। अपीलार्थी को राजस्व रिकॉर्ड की नकलें लेने पर उक्त सच्चाई का ज्ञान हुआ, अतः बाद जानकारी अपील अंदर मियाद शुमार की जाना न्यायसंगत है।"

हमनें संगत विधिक प्रावधानों का भी भली-भांती अध्ययन किया। परिसीमा अधिनियम-1963 की धारा-05 में निम्नानुसार कानूनी प्रावधान हैः-" धारा 05 विहित काल का कतिपय दशाओं में विस्तारणः-कोई भी अपील या कोई भी आवेदन जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश-21 के उपबन्धों में से किसी के अधीन के आवेदन से भिन्न हो, विहित काल के पश्चात ग्रहण किया जा सकेगा यदि अपीलार्थी या आवेदक न्यायालय का यह समाधान कर दें कि उसके पास ऐसे काल के भीतर अपील या आवेदन करने के लिए पर्याप्त हेतुक था।" इस प्रकार यह स्पष्ट है कि विलंबकाल को केवल उन्हीं दशाओं में माफ किया जा सकता है, जब अपीलार्थी सभी संदेहों से परे यह साबित करे कि विलंब के लिए उसके पर पर्याप्त हेतुक है। पर्याप्त हेतुक का सामान्य तात्पर्य यह है कि ऐसी दशाएं जो अपीलार्थी की पहुंच से परे थी, विलंब का कारण उसके नियंत्रण से परे था तथा अपीलार्थी ने कोई उदासीनता प्रकट नहीं की है।

हस्तगत अपील के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा 46 एवं 33 वर्ष पूर्व स्वीकृत नामांतरणों को निरस्त करने बाबत अपील प्रस्तुत की है। विलंब के कारण के रूप में यह कथन को वह पहले नाबालिग था, बालिग होनें पर पढायी करने एवं तत्पश्चात राजकीय सेवा में सेवारत होने के

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

कारण उसे उक्त नामांतरणों की जानकारी नहीं हुई, इसलिए अपील करने में विलंब हुआ। अपीलार्थी शिक्षित एवं राजकीय सेवा में नियोजित रहा है इसलिए यह मानने का कोई कारण नहीं है कि वह उक्त नामांतरणों से अनभिज्ञ था। अपीलार्थी ने ऐसा कोई युक्तियुक्त एवं पर्याप्त हेतुक प्रकट नहीं किया है कि उसे उक्त नामांतरणों के स्वीकृत किए जाने के क्रमशः 46 व 33 वर्ष की कालावधि तक उसे इनका ज्ञान ही नहीं हुआ, साथ ही इतने दीर्घविलंब के बावजूद केवल इस आधार पर कि अपीलार्थी को इसकी जानकारी नहीं थी, साथ ही इसके लिए कोई पर्याप्त कारण भी प्रस्तुत नहीं किया है, विलंबकाल को माफ कर देना वस्तुतः परिसीमा अधिनियम के स्थापित विधिक प्रावधानों एवं विधि के उद्देश्य को ही असफल कर देना होगा तथा विधिक प्रावधान भी निरर्थक हो जाएंगे। अतः हम प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अस्वीकार करना विधिसंगत मानते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 05, भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1963 भलीभांति साबित नहीं होनें और सारहीन होने से अस्वीकार किया जाता है। अपील, अपीलार्थी परिसीमा अवधि से परे होने के कारण अस्वीकार की जाती है। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर, संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 13/01/2020 को सरे ईजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2020.01.23 15:17:08 IST
Reason: SelfAttested
Location: